



सराहनीय कार्य इटावा पुलिस



प्रेसनोट दिनांक 15.09.2025

वनरक्षक के ऊपर जान से मारने की नियत से धारधार हथियार से वार करने वाले 25,000/- रुपये के इनामिया 01 हिन्स्ट्रीशीटर अभियुक्त सहित कुल 02 अभियुक्तों को इटावा पुलिस द्वारा पुलिस मुठभेड़ में किया गया गिरफ्तार,

कब्जे से 02 तमंचा अवैध तमन्चा 315 बोर एवं 04 खोखा व 05 जिंदा कारतूस व 01 नेक्सन कार की गयी बरामद ।

अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर एवं पुलिस उप महानिरीक्षक कानपुर परिक्षेत्र, कानपुर के निर्देशन में इटावा पुलिस एसओजी/सर्विलान्स टीम, थाना बकेवर पुलिस एवं थाना लवेदी पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से की गयी कार्यवाही ।

घटना का संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 11.09.2025 को वनरक्षक लखना रेन्ज अभय चौधरी द्वारा थाना लवेदी पर लिखित तहरीरी सूचना दी गयी कि जब वह लखना रेन्ज चिण्डौली वन ब्लॉक की गस्त कर वापस रेन्ज कार्यालय पर लौट रहे थे इसी दौरान ग्राम बहादुरपुरघार चौराहे के पास 03 व्यक्ति कुल्हाड़ियों से हरे पेड़ काटते हुये दिखे जिन्हें पेड़ काटने से रोका गया तो वह राजकीय कार्य में बाधा डालते हुये गाली- गलौज करने लगे एवं जान से मारने की नियत से वादी के ऊपर कुल्हाड़ी से वार कर दिया जिससे वह गम्भीर रूप से घायल हो गया । सूचना पर तत्काल थाना लवेदी पर मु0अ0सं0 27/2025 धारा

121(1)/121(2)/132/109/190/191(3)/191(2)/352/115(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया ।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा द्वारा घटना में संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु मु0अ0सं0 27/2025 में 25,000/- रुपये का इनाम घोषित किया गया था एवं जनपद स्तर से एसओजी/सर्विलान्स टीम एवं थाना बकेवर एवं थाना लवेदी से पुलिस टीमों का गठन किया गया था जो अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु प्रयासरत थी ।

गिरफ्तारी का संक्षिप्त विवरण:-

अपराध एवं आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम, वाँछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री बृजेश कुमार श्रीवास्तव द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में आज दिनांक 15.09.2025 को गठित पुलिस टीमों द्वारा लखना चकरनगर रोड पर संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चैकिंग की जा रही थी इसी दौरान 01 नेक्सॉन बिना नम्बर कार आती दिखायी दी जिसे पुलिस टीमों द्वारा रूकने का इशारा किया गया तो कार चालक द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायर किया गया जिस पर पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग की गयी तो 01 गोली अभियुक्त अंशू पुत्र राजेन्द्र के दाहिने पैर में लगी जिसे घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्तगण:-

1. अंशू पुत्र राजेन्द्र निवासी नवादा थाना लवेदी जनपद इटावा ।
2. संजय उर्फ पुत्तन तिवारी पुत्र रविन्द्र नाथ तिवारी निवासी वेदान टोला जनपद इटावा ।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 27/2025 धारा 121(1)/121(2)/132/109/190/191(3)/191(2)/352/115(2) बीएनएस थाना लवेदी जनपद इटावा ।

बरामदगी:-

1. 02 तमन्चा 315 बोर
2. 05 जिन्दा कारतूस 315 बोर
3. 04 खोखा कारतूस 315 बोर
4. 01 नेक्सॉन कार

आपराधिक इतिहास-

अभियुक्त अंशू पुत्र राजेन्द्र

1. मु0अ0सं0 26/08 धारा 26(1) वन सं0 अधि0 थाना लवेदी इटावा
2. मु0अ0सं0 96/09 धारा 13जी एक्ट थाना लवेदी जनपद इटावा
3. मु0अ0सं0 97/09 धारा 25A ACT थाना लवेदी इटावा
4. मु0अ0सं0 182/11 धारा 323/325/504 भादवि थाना बकेवर इटावा ।
5. मु0अ0सं0 201/13 धारा 393 भादवि थाना बकेवर इटावा ।
6. मु0अ0सं0 228/14 धारा 395/506/412 भादवि थाना बकेवर इटावा ।
7. मु0अ0सं0 406/14 धारा 2/3 गै0 एक्ट थाना बकेवर इटावा ।
8. मु0अ0सं0 07/20 धारा 364/506/302/201/120बी/34 भादवि थाना लवेदी इटावा ।
9. मु0अ0सं0 27/25 धारा 121(1)/121(2)/132/109/190/191(2)/191(3)/352/115(2) बीएनएस थाना लवेदी इटावा ।

अभियुक्त संजय उर्फ पुत्तन तिवारी पुत्र रविन्द्र नाथ

1. मु0अ0सं0 07/20 धारा 364/506/302/201/120बी भा0द0सं0 थाना लवेदी इटावा
2. मु0अ0सं0 47/18 धारा 323/504/506 भा0द0सं0 थाना लवेदी जनपद इटावा
3. मु0अ0सं0 07/14 धारा 341/347/348/420/467/468/471/323/506 थाना लवेदी इटावा
4. मु0अ0सं0 18/97 धारा 3/5 गुण्डा एक्ट थाना लवेदी इटावा ।
5. मु0अ0सं0 73/57 धारा 110 जी थाना लवेदी इटावा ।
6. मु0अ0सं0 54/96 धारा 457/380 भादवि थाना लवेदी इटावा ।
7. मु0अ0सं0 55/96 धारा 452/307 भादवि थाना लवेदी इटावा ।

पुलिस टीम:- प्रथम टीम- उ0नि0 बीके सिंह प्रभारी एसओजी, उ0नि0 नागेन्द्र चौधरी प्रभारी सर्विलान्स मय टीम ।

द्वितीय टीम:- उ0नि0 विपिन मलिक थानाध्यक्ष बकेवर मय टीम ।

तृतीय टीम:- उ0नि0 प्रीति सेंगर थानाध्यक्ष लवेदी मय टीम ।

